थाना मेवाड़ा

<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर</u>

जिला /वनमण्डल डूंगरपुर में थाना मेवाड़ा (हिम्मतपुर) से गुजरात राज्य की सीमा तक 17/900 से 19/400 एवं 20/150 से 23/500 के मध्य सुदृडिकरण /विस्तार कार्य हेतु 12.528 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में पार्ट ।। एवं पार्ट ।।। की पूर्ती होने के पश्चात प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

1. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-ii (b) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा KML file में पुराने रोड (Existng road) एवं प्रस्तावित चौडाई वाले रोड को सही प्रकार नही दर्शाया गया है। इसमें वन क्षेत्र में आने वाली रोड में पुरानी रोड एवं चौडाई में प्रस्तावित बायी एवं दायी ओर रोड को अंकित करते हुए KML file polygon shape में दिया जाना प्रस्तावित है।
2. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-iv में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा DGPS/Total Station Map जो उपलब्ध कराया गया है इसमें प्रस्तावित सडक में पुरानी रोड एवं प्रस्तावित चौडाई का अंकन किया जाना अपेक्षित है।
3. U/A द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-(i) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से जारी FRA certificate संलग्न किया गया है। किन्तु इसके साथ जिला स्तरीय कार्यवाही विवरण, उपखण्ड स्तरीय समिति विवरण, ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण संलग्न नही किये गये है। जो संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त सूचनाओ में पूर्ण पालना नही की गई है। निम्न सूचना अभी भी दिया जाना अपेक्षित है।
   1- प्रस्तुत की गई एरिया केलकुलेशन शीट में पूर्व में बनी हुई निर्मित सडक को प्रस्तावित प्रत्यावर्तन में शामिल नही किया गया है। कारण स्पष्ट किया जावे। ली जाने वाली छूट (1980 से पूर्व की सडक होने पर तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र या स्वयं की खातेदारी) से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।

5- मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्तुत हार्ड कॉपी की दो प्रति में इंडेक्सिंग एवं दस्तावेजो का अभाव है। अतः कमियों की पूर्ती के उपरांत ही हार्ड कापी 2 प्रति में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

इअतः प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक को सूचना भिजवाने हेतु प्रस्ताव वापस ऑनलाइन लौटाया जाकर सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।